रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249291

असाधारण

भाग II – खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं. 4216] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2023/आश्विन 18, 1945

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे) (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2023

(इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना 06.09.2023 को का. आ. 3968 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी। जिसको कुछ लिपिकीय त्रुटियों के दृष्टिगत रद्द माना जाए। यह अधिसूचना उपरोक्त रद्द अधिसूचना के बदले में पढ़ी जाए)

का.आ.4387(अ)—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि विकास संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, दिल्ली राज्य के जिला दक्षिण पश्चिम में विशेष रेल परियोजना बिजवासन के फ्राईट एवं कोचिंग टर्मिनल के विकास हेतु कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, इस भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप–धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए इस भूमि के अर्जन के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण, अर्थात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण पश्चिम को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप–धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

दिल्ली राज्य के दक्षिण पश्चिम जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात् बिजवासन में फ्राईट एवं कोचिंग टर्मिनल के विकास हेतु कार्य अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण:

क्र. सं.	जिला/ राज्य	तहसील/ तालुका	ग्राम एवं हदबस्त सं./मुस्तील	खसरा संख्या	भूमि अर्जन हेतु भूमि का क्षे. (बीघा-बिस्वा)
1	दक्षिण पश्चिम जिला, दिल्ली	कापसहेडा	भरथल	51//24	4-16
2				52//4/2	1-10
3				52//26/1	0-6
4				52//4/1	3-0
				Total =	**9-12 (0.8075 hectare)**

[फा. सं. 190-W/Land/Misc/CSB-I(Kapasheda)]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

3209/2023